Q. लास्की के अनुसार बहुलवाद की विशेषताओं की विवेचना करें।

Ans: लास्की न केवल 20 वीं सदी के प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक चिन्तक वरन् 20 वीं सदी के विश्व के सबसे प्रमुख राजनीतिक चिन्तनों में से एक है। उसकी गणना प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धान्त के श्रेष्ठ व्याख्याताओं एवं प्रबल प्रवर्तकों में की जाती है। बहुलवादी विचारधारा के लिए बहुलवाद शब्द का प्रयोग करने का श्रेय लास्की को ही दिया जाता है। यों कहें कि लास्की की राजनीतिक विचारधारा का पहला चरण (1914-24) बहुलवाद से ही शुरू होता है। लास्की ने निम्न तर्कों एवं आधारों पर ऑस्टिन के संप्रभुता विषयक विचारों का खण्डन करते हुए बहुलवाद का प्रतिपादन किया है।

सर्वप्रथम, इतिहास और वर्तमान व्यवहार के आधार पर प्रभुसत्ता का सिद्धान्त असत्य, अवास्तविक और अत्युक्तिपूर्ण है। मानव जीवन के लम्बे इतिहास में हमें एक भी ऐसे शासक का उदाहरण नहीं मिलता है जो ऑस्टिन द्वारा बतलाई गई अमर्यादित शक्ति से सम्पन्न हो। इतिहास में कभी भी प्रभुसत्ता निरंकुश शक्ति के रूप में नहीं रही है, सदैव उस पर कुछ न कुछ नियंत्रण ही रहे हैं। अतः ऐतिहासिक अनुभव निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन नहीं करता। लास्की ने हेनरी मेन के शब्दों को दोहराते हुए कहा है कि "ऑस्टिन का सिद्धान्त इतना कृत्रिम है कि वह बेतुकेपन की सीमा को छू लेता है।"

न केवल इतिहास वरन् वर्तमान समय के राज्यों के आधार पर भी संप्रभुता की धारणा का खण्डन किया जा सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक जीवन के ऐसे उदाहरण हैं जबकि राज्यों को शक्तिशाली चर्च, धार्मिक सम्प्रदायों या आर्थिक समुदायों की इच्छा के समक्ष झुकना पड़ा। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकल सकता है कि असीमित सत्ता कहीं भी विद्यमान नहीं है।

नैतिक आधार पर भी प्रभुसत्ता विषयक परम्परागत धारणा का लास्की विरोध करता है। लास्की के अनुसार व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक कर्त्तव्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना है लेकिन प्रभुसत्ता की परम्परागत धारणा राज्य को परम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देती है। जो व्यक्ति के विकास में निश्चित रूप से बाधक हो जाती है। राज्य व्यक्ति की प्रगति तथा आत्म-तुष्टि का साधनमात्र है और व्यक्ति का यह विकास तथा संतुष्टि बहुमूल्य होती है। ऐसी स्थिति में जब राज्य और किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न हो तो व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार अपनी

Scanned with CamScanner

शक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए।

कानून विषयक धारणा के आधार पर भी लास्की सम्प्रभुता की आलोचना करता है। जहाँ ऑस्टिन कहता है कि कानून संप्रभु का आदेश है वहाँ लास्की का कहना है कि कानून संप्रभु का आज्ञामात्र नहीं है बल्कि वह परम्पराओं, रीति-रिवाजों एवं धार्मिक नियमों द्वारा निर्मित होते हैं और इसका पालन स्वयं के औचित्य के कारण होता है।

व्यवहारिक आधार पर लास्की राज्य की सम्प्रभुता सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहता है कि राज्य एवं नागरिकों के जो सम्बन्ध होते हैं वे सम्प्रभुता के सिद्धान्त को सिद्ध नहीं करते। प्राचीनयुग के निरंकुश शासकों को आंतरिक समूहों के संकल्पबद्ध विरोध के सामने झुकना पड़ा और आधुनिक युग के राज्यों को अपने नागरिकों के संगठित विरोध के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा है।

अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर भी लास्की संप्रभुता के सिद्धान्त का विरोध करता है। उनका मत है कि अनियंत्रित रूप से यह अन्तर्राष्ट्रीय अशांति और तनाव को जन्म देता है, युद्ध के खतरों को बढ़ाता है। प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में मनमाना आचरण करते हैं। जैसे- जर्मनी, इटली जैसे शक्तिशाली राज्यों ने पोलैण्ड, बेल्जियम और अबसीनीया जैसे निर्बलराज्यों पर आक्रमण कर मानव जाति को असीम कष्ट पहुँचाया है।

व्यावहारिक तौर पर देखे तो निश्चय है निरपेक्ष और स्वतंत्र प्रभुता सम्पन्न राज्य की अवधारणा की मानवता के हितों से संगति नहीं बैठती। विश्व ही वह सच्ची इकाई है जिसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आज्ञाकारिता का सच्चा दायित्व मानवमात्र के समग्र हितों के प्रति है।

औचित्य के आधार पर भी संप्रभुता की परम्परागत धारणा निरर्थक लगता है। व्यक्ति राज्य के सदस्य के साथ अन्य संस्थाओं के भी सदस्य होते हैं और संस्थाओं का न केवल अनुयायियों पर जोर होता है बल्कि वे स्वयं शासन के संचालन में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। इस तरह की संस्थाएँ अपने सदस्यों के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी कि राज्य स्वयं। लास्की का यह भी कहना है कि वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि राज्य अकेला मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक

Scanned with CamScanner

एक आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। लास्की के ही शब्दों में "आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढाँचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। उसका यह भी कहना है कि सत्ता के केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसा करने के लिए स्थानिक तथा व्यवसायिक ~~समुदायिक~~ समुदायों को शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

संप्रभुता की परम्परागत धारणा का निरोध लास्की ने जिन विचारों के द्वारा प्रतिपादन किया है उसमें यद्यपि पर्याप्त बल है, फिर भी अनेक आधारों पर उनकी आलोचना भी की जा सकती है।

सर्वप्रथम, लास्की एक ऐसी बात की आलोचना करता है जो सम्प्रभुता के प्रतिपादक कहते ही नहीं है। ऑस्टिन और सम्प्रभुता की परम्परागत धारणा के अन्य प्रतिपादकों के अनुसार राज्य कानूनी रूप से ~~सर्वोच्च~~ ही सर्वोपरि है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य की कोई नैतिक अथवा भौतिक सीमाएँ नहीं होती हैं। दूसरा, लास्की भी अन्य बहुलवादियों के अनुसार राज्य और सरकार को एक समझने की भूल करता है।

ऑस्टिन और उसके साथी विश्लेषणवादी न्यायविदों ने सरकार की संप्रभुता नहीं बल्कि राज्य के संप्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

लास्की का चिन्तन निरन्तर परिवर्तनशीलता की स्थिति से ग्रस्त रहा है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं (Studies in the Problem of Sovereignty और Authority in the Modern State) में वह राज्य की सर्वोच्च सत्ता पर प्रबल प्रहार करते हुए उग्र बहुलवादी विचार-धारा का प्रतिपादन करता है और राज्य को अन्य ऐच्छिक समुदायों के समान ही एक समुदाय मानता है। लेकिन बाद में अपनी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'राजनीति के मूल तत्व (Grammer of Politics) में वह अपने प्रारंभिक उग्र बहुलवाद में कुछ संशोधन लाते हुए माना कि राज्य और अन्य ऐच्छिक समुदायों के स्वरूप में आधारभूत अंतर है। अन्तर यह है कि राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है जबकि अन्य समुदायों के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती। An Introduction to Politics में भी वह प्रारंभिक बहुलवाद से बहुत दूर चला गया है और और राजनीति के मूलतत्व के प्रथम संस्करण में प्रतिपादित बहुलवाद के संशोधित रूप को भी तिलांजली दे देता है।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार लास्की ने अपने ~~प्रारंभिक~~ राजनीतिक चिंतन के ~~प्रारंभिक काल में~~ परिपक्वता काल और उत्तरार्द्ध में अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। उसने कहा है कि राज्य को अन्य समुदायों पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है किन्तु मानव जीवन में इन समुदायों के अस्तित्व और उनकी उपयोगिता को बरकरार रहते हुए राज्य के द्वारा इन समुदायों की गतिविधियों पर कम से कम नियंत्रण ही रखा जाना चाहिए। अन्त में, हम कह सकते हैं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का विवेकपूर्ण आग्रह लास्की का आधुनिक राजनीतिक चिन्तन को एक विशेष योगदान है।

—o—